

विश्वनाथ पासवान
बनाश
रामपारी देवी

अनुसूची 14-फारम सं० 582

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक - ता०

से

तक

जिला बलिया

सं० 32

सन 22-23

केस का प्रकार विधिवान

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और अतिरिक्त का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आवेदन विश्वनाथ पासवान पिता स्व० सुनारी मांझी ग्राम + पौ०- मनिगा जिला बलिया के द्वारा एवं सुरेन्द्र पासवान पिता स्व० भोगी मांझी, मौजा सिंजौ बाना न०- 91 खाला संख्या 27। प्लॉट संख्या 34 में 55-डीसमील 13 दोनो के नाम से कच्चीबस्त के द्वारा प्राप्त है जिसका ऑनिलान्डिंग रसीद भी मिली है इसी भूमि पर रामपारी देवी प्रति स्व० वंशी साब के द्वारा कब्जा क्रियत जा रहा है इसलिये। उक्त प्राप्त आवेदन के आलोक में सम्बंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंमल निरीक्षक के द्वारा जॉय प्रविषण की मांग करें। तथा वादी एवं प्रतिवादी को जागजाह के साथ दिनांक- 16/04/23 को सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत करें।  07.02.2023 अंमल अधिकारी मनिगा ।	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

18/02/23

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। अभिलेख दिनांक 24/02/23 को रखे।

अंमल अधिकारी
ममिदा

24/02/23

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष उपस्थित। अभिलेख दिनांक 11.04.23 को रखे।

11/04/23

अंमल अधिकारी
अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष उपस्थित। अभिलेख दिनांक 9/6/23 को रखे।

अंमल अधिकारी
ममिदा

दोनों पक्षों के बीच विवाद है
तथा दावा मजलापदों के पक्ष
दावा करते हैं। इस आधार पर
के द्वारा दायर। द्वितीय पक्ष
मजला का निर्माण नहीं होता
है अतः पक्षों के दावा के
मजला दावा अनुत्तरे।

14.3.24